ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-2* May- 2021
Anthology : The Research

भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण

Paper Submission: 01/05/2021, Date of Acceptance: 14/05/2021, Date of Publication: 25/05/2021

रमा शर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति शास्त्र विभाग,
गवर्नमेंट आर्ट्स कालेज,
कोटा, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत कृषि प्रधान ग्राम्याधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। जिसकी 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। हमारी ग्रामीण जनता को मुख्यधारा में लाने के लिए एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को निम्न पायदान पर स्थित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सशक्तीकरण के साथ लागू किया। महिला प्रतिनिधित्व व मानव विकास के सूचकांक को प्राप्त करने हेतु भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया का अनुपम योगदान है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण, मानव विकास, सशक्तीकरण, सहभागिता, अर्थव्यवस्था, समवेशी विकास, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका, निर्धनता त्रिस्तरीय, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत।

प्रस्तावना

भारत माता ग्राम निवासिनी, अगर देश का विकास करना है तो विकास प्रशासन को गांवों तक पहुंचाना होगा। ग्रामीण विकास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वर्तमान स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से जन सहभागिता को समाज के सभी वर्गो में सत्ता की भागीदारी को बढ़ाना जिससे सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करके विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है।

समस्या का चयन

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनता को लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण व पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय सोपानों के माध्यम से ग्रामों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ताकि समस्या की पहचान स्थानीय स्तर पर तो हो सके और उसका समाधान भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जावे, हम यहां यह अध्ययन करना चाहते है कि ये संवैधानिक संस्थाये किस प्रकार से अपना कार्य कर रही है और उनकी प्रशासनिक संरचना किस प्रकार की है।

अध्ययन का उद्देश्य

ग्रामीण विकास के विविध पहलुओं के अध्ययन के साथ–साथ लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण व पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय सोपानों की कार्य प्रणाली व संरचना का अध्ययन करना एवं ये देखना कि ये संवैधानिक संस्थाये हमारे ग्रामीण जनता के लिए कितनी उपयोगी है।

साहित्यावलोकन

ग्रामीण विकास विषय पर अनके प्रकार के अध्ययन हुए है। पंचायती राज व्यवस्था व लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर भी अनके साहित्य उपलब्ध है। इस अध्ययन के लिए हमने पुस्तके, सामाचार पत्र, पत्रिकाओं का चयन किया है। इन्दिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान की अध्ययन सामग्री हमारे लिये बहुत उपयोगी रही है। कटार सिंह, तपेश्वर सिंह, अमर्त्य सेन और रामजी यादव की पुस्तकों का अध्ययन किया है।

भारत सरकार के ई–बुक, कुरूक्षेत्र, योजना आदि इन अध्ययनों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास प्रशासन एवं बहुपक्षीय अवधारणा है, जिसे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से सम्बल मिला है।

भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन एवं लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण प्रधान विकासशील अर्थव्यवस्था है। आज भी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग देश में लगभग 6 लाख गांवों में निवास करती है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मागांधी ने सही कहा था

कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। वास्तव में देश की खुशहाली और सम्पन्नता गांवों की खुशहाली पर भी निर्भर करती है। अतः गांवों के समुचित व सर्वागीण विकास पर देश की सरकार द्वारा ध्यान देना परम आवश्यक है।

ग्रामीण जन को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार निरन्तर ग्रामीण विकास के लिए प्रयत्नशील है। सरकार के द्वारा जो भी विकास कार्य किये जा रहे है, उनके साथ क्रियान्यन अभिकरण भी अपना बहुत महत्व रखते है। सरकारी नीतियों, सरकारी विकास योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन कौन–कौन से अभिकरण किस प्रकार से करते है, समस्त योजनाओं का लाभ निम्न पायदान पर स्थित व्यक्ति को किस प्रकार उपलब्ध करवाया जाता है, यह एक विचारणीय तथ्य है।

लोक कल्याणकारी विकास कार्यक्रमों की शुरूआत व क्रियान्वयन के लिए लक्षित सामूहिक परिवारों के लिए सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया से योजना निर्माण, कार्यपालन, देख–रेख तथा समीक्षा के लिए एक सुसंगठित व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो सभी कार्यो का सम्पादन कर सके। इन सबके लिए प्रशासनिक तन्त्र विशेष महत्वपूर्ण है।

स्वतन्त्रता से पूर्व ग्रामीण विकास प्रशासन के लिए अलग से कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, कल्याण विभाग मिलकर विकास कार्यो का सम्पादन करते थे। स्वतन्त्रता के पश्चात तथा मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा सरकार ने यह अनुभव किया कि गरीब ग्रामीण जनता के उत्थान के लिए प्रशासनिक मशीनरी की आवश्यकता है, जो कि विकास, कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चला सकें। यह प्रशासनिक तन्त्र ठीक से कार्य करे, इसके लिए केन्द्र राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर एक सुदृढ प्रशासनिक मशीनरी स्थापित की गई है। इसकी दो आधारभूत मांगे है–संगठन और प्रबन्ध। यह न केवल समन्वय पर बल देते है, बल्कि कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाने वाली पहल उपलब्ध कराते है।

ग्रामीण विकास का बुनियादी पक्ष है– सहभागिता आधारित आर्थिक विकास एवं मानव विकास, इसके अन्तर्गत ग्रामीण जन की आर्थिक उन्नति एवं समग्र मानव विकास जिसमें लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता सुविधाऐं आदि मूलभूत सुविधाऐं विकास के अवसरों के रूप में सुनिश्चित तौर पर प्राप्त है। इसके लिए अवसरों के रूप में सुनिश्चित तौर पर प्राप्त है। इसके लिए आवश्यक है कि विकास की योजनाये जन सहभागिता आधारित राय से ही बने। विकास के अवसरों से कोई वंचित नहीं रहे तथा मानव विकास के साथ–साथ मानव अधिकारों का भी सामाजिक यथार्थ की कसौटी पर संरक्षण हो सके। इसी मूल भावना को द्रष्टिगत रखकर 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा को स्थानीय विकास नियोजन व लाभार्थियों के न्यायसंगत चयन को अधिकार संवैधानिक मान्यता से दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 243 (बी) के अनुसार ग्राम सभा वह इकाई है जिसकी सदस्यता सम्बन्धित पंचायत की मतदाता सूची से शामिल सभा नागरिकों को प्राप्त है।

एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो ग्राम सभा बैठके– प्रथम बैठक वर्ष के प्रथम त्रैमास में व द्वितीय बैठक वर्ष के अंतिम त्रैमास में बुलाया जाना अनिवार्य है।

वर्तमान में चल रहे प्रमुख विकास योजनाओं जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास, मानव विकास व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना पंचायती राज संस्थाओं का उत्तरदायित्व है। जो निम्नलिखित है–

आर्थिक विकास सम्बन्धी योजनाऐं

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार(एस.जी.एस.वाई
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा)
3. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)

मानव विकास सम्बन्धी योजनाऐं

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत
2. ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम
3. सर्वशिक्षा अभियान/प्रारंभिक शिक्षा/साक्षर भारत अभियान
4. आजीविका संवर्धन योजनाऐं
5. महिला बाल विकास योजनाऐं

समाजिक न्याय सम्बन्धी योजनाऐं

1. सामाजिक सुरक्षा योजनाऐं
2. खाद्य सुरक्षा योजनाऐं
3. अनुसूचित जाति विकास एवं जनजाति विकास कार्यक्रम

ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक भूमिका निर्धारित की गई है। जिले की पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था में प्रत्येक इकाई का दायित्व है कि वह स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करे। ग्रामीण विकास नियोजन, क्रियान्यन व प्रबोधन हेतु जन सहभागिता जुटाने के लिए अपने क्षेत्र में संवैधानिक संस्थाओं को सशक्त बनावें ताकि ऐसे समाज का निर्माण सम्भव हो पाये जिसमें जेण्डर समानता, वंचितों के प्रति न्याय व सबके हितों का संरक्षण सुनिश्चित हो।

73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर लोकतान्त्रिक व्यवस्था की जड़े व तंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रावधान जोड़े गये। संविधान के अनुच्छेद 243 (डी) में पंचायत को परिभाषित करते हुए उसे ग्रामीण अंचल की स्वशासन की संस्था माना गया है। (चाहे देश के विभिन्न प्रान्तों में उन्हें किसी भी नाम से संबोधित किया जावें) इस संविधान संशोधन के मूल तत्व इस प्रकार है–

1. ग्राम सभा को विकेन्द्रित स्वशासन की बुनियादी इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
2. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थ समान रूप से सम्पूर्ण देश में लागू (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद)
3. महिलाओं हेतु न्यूनतम एक तिहाई सीटों पर आरक्षण सदस्यों पदों व अध्यक्ष पदों हेतु।

4. अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था।
5. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन–प्रत्यक्ष, नियमित एवं सुचारू चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
6. हर राज्य में प्रत्येक पांच वर्ष हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन– जो पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द किये जा चुके दायित्वों के अनुरूप, उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ करने की अनुशंसाएं राज्य सरकार को करें।
7. प्रत्येक जिले में जिला आयोजना समिति के गठन को संवैधानिक मान्यता (74वां संविधन संशोधन)।
8. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दर्ज 9 विषयों पर राज्य सरकारें पंचायतों को शक्तियां व अधिकार हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत है। हस्तांतरित विषयों पर विकास योजना बनाने व क्रियान्वयन का दायित्व पंचायतों को प्रदत्त।

73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप भारत में लगभग 30 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के प्रतिनिधित्वकर्ता है। यह प्रतिनिधि देश की करीब 2.65 लाख ग्राम पंचायतों, 6000 बलॉक पंचायतों व करीब 600 से ऊपर जिला पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते, 99.60 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का नेतृत्व करते है। यह शासन व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण का मानव इतिहास में सबसे बड़ा प्रयोग है।

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष

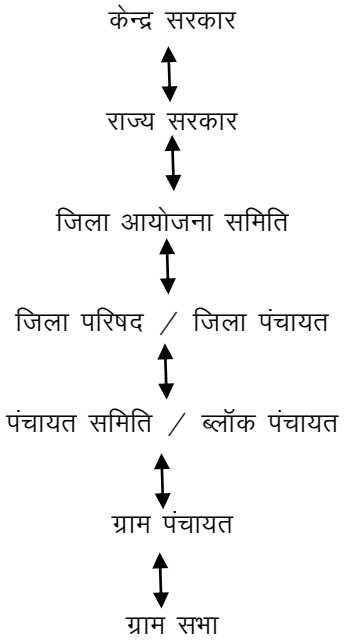

विकास प्रशासन में पंचायती राज संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना एवं भूमिका
जिले में विद्यमान पंचायती राज व्यवस्था के तीन स्तर

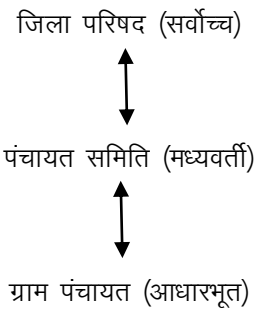

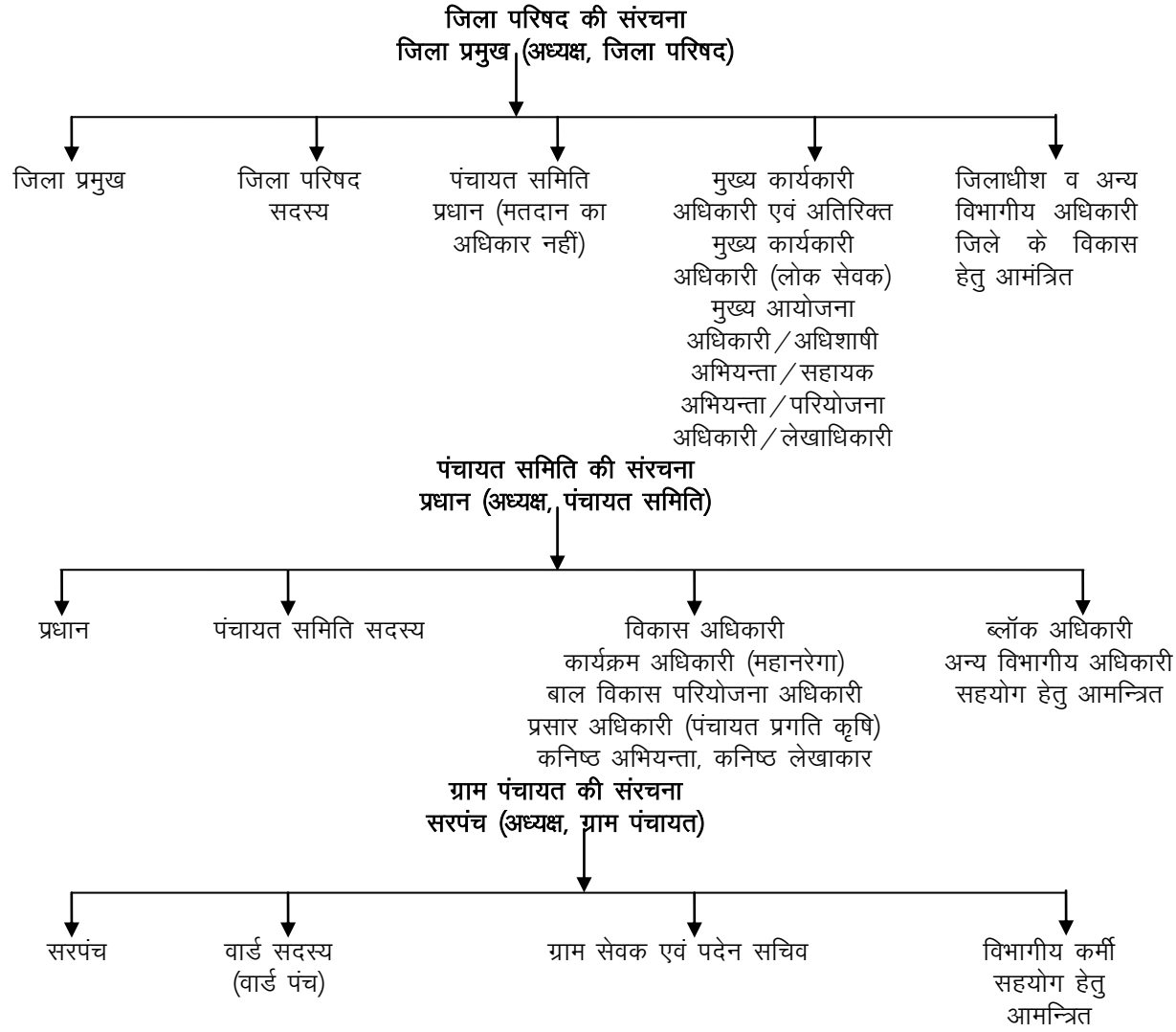

जिला परिषद के कार्य

1. जिले में पंचायती राज व्यवस्था को नेतृत्व व मार्ग दर्शन प्रदान करना।
2. जिले के समग्र विकास हेतु जैण्डर संवेदी जिला आयोजना तैयार करना।
3. जिला आयोजना के क्रियान्वयन हेत विभिन्न विभागों से समन्वय करना।
4. केन्द्र व राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों को पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में वितरित करना एवं उनके कार्यो का मार्गदर्शन व निगरानी करना।
5. जिले की पंचायत समितियों के वार्षिक बजट प्रस्ताव पर विचार कर उन्हें पारित करना।
6. ग्रामीण हाट बाजारों का रख–रखाव।
7. जन अभाव अभियोग / शिकायतों की जानकारी लेना एवं उनके निराकरण हेतु विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रयास करना।

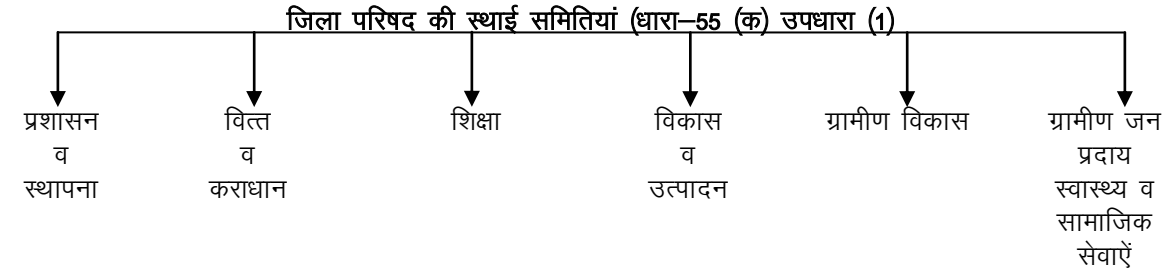

इन 6 स्थाई समितियों के अतिरिक्त प्रत्येक जिला परिषद में एक सतर्कता समिति भी ग्रामीण विकास कार्यो एवं पंचायती राज संस्थाओं की निगरानी हेतु गठित की जाती है। (अनुच्छेद– 60–क)

पंचायत समिति के कार्य

1. अधिनियम के आधार पर सौंपे गये, अथवा समय–समय पर राज्यसरकार व जिला परिषद द्वारा सौंपे गये कार्यो/ योजनाओं के संबंध में वार्षिक योजना तैयार कर, समय से जिला परिषद को भेजना।
2. पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम सभाओं से प्राप्त वार्षिक योजनाओं को समेकित कर जिला परिषद को भेजना।
3. पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना।
4. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध करना।
5. अन्य ऐसे समस्त कार्यो/ दायित्वों का निष्पादन जो कि समय–समय पर राज्य सरकार या जिला परिषद द्वारा सौंपे जावें।

ग्राम पंचायत के कार्य

1. पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक योजना तैयार करना।
2. वार्षिक बजट निर्माण।
3. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाना।
4. लोक सम्पत्तियों पर से अतिक्रमण हटाना।
5. सामुदायिक कार्यो हेतु जन सहयोग के रूप में स्वैच्छिक श्रम या सामग्री जुटाना।
6. पंचायत के गांवों की वार्षिक सांख्यिकी रखना।
7. पंचायत की परिसम्पत्तियों का संख्याकंन व संधारण।
8. जनगणना कार्य में सहयोग करना।
9. पंचायत सर्किल में कृषि उपज में वृद्धि हेतु कार्यक्रम बनाना।
10. ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु वार्षिक योजना बनाना।
11. केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी प्रकार की सहायता सम्बन्धित जन–जन तक पहुंचाना।
12. सामुदायिक परिसम्पत्तियो पर नियन्त्रण, आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण कराना, बेरोजगारी की सांख्यिकी तैयार करना।
13. स्थानीय, मेलों/हाट–बाजारों/उत्सवों/ तीर्थो आदि का रख–रखाव एवं विनियमन।
14. पंचायत अभिलेखों का संधारण।
15. जन्म, मृत्यु, विवाह का निर्दिष्ट प्रारूप में पंजीकरण।
16. जैण्डर संवेदी विकास आयोजना एवं क्रियान्वयन समीक्षा हेतु नियमित वार्ड सभाओं व ग्राम सभाओं का आयोजन कर, स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कार्य योजना बनाना, क्रियान्वयन एवं जनता द्वारा कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण व जैण्डर ऑडिट कराना।

ग्रामीण विकास प्रशासन का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास या निर्माण कार्यो तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक न्यायोन्मुखी, मानव विकास के प्रयासों को प्रगति देते हुए, जैण्डर संवेदी विकास परिणाम सुनिश्चित करना, संवेदनशील स्थानीय सुशासन का अनिवार्य अंग है। यही दोनों उद्देश्य पंचायत राज संस्थाओं की संवैधानिक भूमिका में भी निहित है। ग्रामीण विकास के अन्तिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन चार तथ्यों को होना आवश्यक है– वे है– विकेन्द्रीकरण जन सहभागिता, पारदर्शिता और सूचना का अधिकार।

आर्थिक व सामाजिक समानता लाने के लिए ग्रामीण विकास की प्रक्रिया अतिआवश्यक है। हमारे देश में 6,49,481 ग्राम है, जिनमें लगभग 90 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान समय में समस्त विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हम पाते है कि विशाल प्रशासनिक संरचनागत ढांचे के होते हुये भी आशानुरूप प्रगति नहीं कर पाये। आज के कोविड–19 की महामारी के समय में विकास की पोल खुलती नजर आ रही है, जिसमें सर्वत्र निरक्षता, निर्धनता, बेरोजगारी, असामानता का साम्राज्य व्याप्त है। महामारी में गांवों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्त व्यवस्थाओं का बहुत बुरा हाल है। देश के लगभग 700 जिलों में कोविड–19 के मामले सामने आ चुके है। पूरे देश में 825 कोविड केयर सेन्टर है जो कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में केवल मात्र 63 सेन्टर है।

हम यह जानना चाहते है कि अच्छी सरकारी योजनायें व्यवहार में असफल क्यों है ? देश में विद्यमान विषमताओं को दूर किया जाना आवश्यक है। कोविड–19 के समय में गांवों की ओर पलायन करते हुए मजदूरों को महानरेगा ने एक आर्थिक सम्बल प्रदान किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत नामक योजना भी प्रारम्भ की गई है। यहां हम विकास योजनाओं पर चर्चा नहीं कर रहे है, हमारा उद्देश्य ग्रामीणा प्रशासन की ग्रामोत्थान में क्या भूमिका है यह बताना है। सरकार अपने प्रयासों के मध्य विद्यमान अन्तर को कम करना चाहती है, ताकि गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को बल प्रदान किया जा सके। इंडिया व भारत के बीच की दूरी को कम किया जा सकें।

समस्त विकास कार्यक्रमों के लिए ईमानदार प्रयास, राजनैतिक प्रतिबद्धता होना एक अनिवार्यता हो सकती है। प्रो. रिग्स के अनुसार विकासशील देशों में वर्तमान प्रशासन आवश्यकता के अनुरूप अपने आपकों नहीं ढाल पाया है। इसे हमारे समाज की विवशता ही कहा जा सकता है। सरकारी अधिकारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों, राजनीतिक प्रतिनिधियों में खुली एवं दृढ इच्छाशक्ति के साथ समाज हित में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहींहोने दिया। प्रशासनिक हीला–हवाली तथा भ्रष्टाचार, अकुशलता ने पग–पग पर ग्रामीण विकास की राह में शिथिलता ला दी है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद भी विकास प्रशासन विकास कार्यो को चौपट करता जाता है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पॉलियों ड्रॉप नहीं है जो लोगों को पिला दी जाय। ये लोगों की भागीदारी और कल्पनाशील समाधान की मांग करता है। हर सिक्के के दो पहलू होते है, कमियों को दूर किया जा सकता है। आवश्यकता है, दृढ इच्छा शक्ति व प्रतिबद्धता की।

निष्कर्ष

यही कहा जा सकता है कि उत्तर स्वाधीनताकालीन भारतवर्ष में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रिकरण के माध्यम से जन संस्थाओं, जन सहभागिता को प्रबल बनाया गया है, जिससे एक नूतन युग का सूत्रपात हो चुका है। आज दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, कमजोर ग्रामीण भारतवासियों को देश की मुख्य धारा में लाने के प्रति हमारी सरकार प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में समाज वैज्ञानिकों का भी दायित्व है कि वे भी छिद्रान्वेषण की प्रवृति को छोड़कर, अनुभव मूलक शोध अध्ययन के आधार पर व्यवहारिक सुझाव देवे, जिससे ग्रामीण विकास की राह आसान हो सकें।

संन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डा0 अनिता : पंचायती राज प्रशिक्षण सामग्री, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (राज्य ग्रामीण विकास संस्थान) राजस्थान, जयपुर।*
2. *कटार सिंह : ग्रामीण विकास, सेज पब्लि., नई दिल्ली, 2011*
3. *तपेश्वर सिंह : ड्राट डिजास्टर एण्ड एग्रीकल्चरल डवलपमेन्ट इन इण्डिया (देहली पिपल्स पब्लि. हाउस, 1995)*
4. *अमर्त्य सेन, आर्थिक विषमताए, राजपाल पब्लि.।*
5. *पी.पी. गौर व आर. के. मराठा : लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास (अर्जुन पब्लि.), 2004*
6. *रामजीयादव, भारत में ग्रामीण विकास, (अजुर्न पब्लि., नई दिल्ली), 2009*
7. *राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र।*
8. *दैनिक भास्कर, सामाचार पत्र।*
9. *टाईम्स ऑफ इण्डिया, समाचार पत्र।*
10. *दैनिक नवज्योति, सामाचार पत्र।*